

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3453

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 11 अगस्त, 2025

20 श्रावण, 1947 (शक)

### अल्पसंख्यकों की विरासत और तीर्थ स्थलों का संरक्षण

3453. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

डॉ. बायरेहुं शबरी:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान किसी सरकारी योजना के अंतर्गत संरक्षण, पुनरुद्धार या विकास हेतु चिह्नित अल्पसंख्यक विरासत स्थलों, पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अधिकार के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्ष-वार व्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसे संरक्षण या विकास के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त ऐसी स्वीकृत, लंबित या अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है और व्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का अल्पसंख्यक विरासत स्थलों, पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के संरक्षण, पुनरुद्धार और संवर्धन हेतु कोई समर्पित योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो उसका व्यौरा और समय-सीमा क्या हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): देश भर में अल्पसंख्यक धरोहर स्थल, पूजा स्थल या तीर्थ स्थल सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 3685 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन केंद्रीय स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के दिशानिर्देशों एवं स्मारक/स्थल की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से स्मारकों के परिरक्षण, जीर्णोद्धार और संवर्धन का कार्य करता है।

लोकसभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण  
केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु आवंटन और व्यय का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/ शाखा	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
			आवंटन	व्यय								
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	13.00	12.96	19.35	19.35	21.27	21.15	23.52	23.52	9.50	9.48
		झाँसी	1.00	1.00	4.15	4.15	7.00	7.00	5.82	5.82	4.30	4.30
		लखनऊ	3.88	3.88	10.44	10.44	19.03	19.03	16.93	16.93	5.51	5.51
		सारनाथ	4.38	4.38	5.50	5.50	10.15	10.15	11.32	11.32	4.32	4.32
		मेरठ	0.00	0.00	2.80	2.80	6.20	6.20	7.95	7.95	5.20	4.72
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.16	3.16	8.00	7.99	18.70	18.70	26.80	26.80	5.20	5.16
		मुंबई	11.00	11.00	12.00	12.00	15.35	15.35	15.56	15.56	12.58	12.56
		नागपुर	4.00	4.00	4.50	4.50	5.00	4.99	10.18	10.18	6.80	6.80
3.	कर्नाटक	बैंगलोर	5.27	5.27	9.75	9.75	19.85	19.85	17.34	17.34	5.05	5.05
		हम्पी	9.10	9.10	8.00	8.00	10.00	10.00	12.25	12.25	3.80	3.71
		धारवाड़	6.40	6.40	7.32	7.32	10.08	10.08	9.57	9.57	5.42	5.42
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	11.50	11.50	11.50	11.50	14.90	14.90	17.22	17.22	7.40	7.40
		जबलपुर	3.50	3.50	4.75	4.75	8.00	8.00	9.27	9.27	4.50	4.49
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर/पुरी	3.63	3.63	8.23	8.23	13.18	13.17	12.29	12.29	8.50	7.74
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6.03	6.02	7.67	7.57	10.16	10.16	9.10	9.10	3.95	3.92
7.	पश्चिम बंगाल, सिङ्गम	रायगंज	1.35	1.35	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	3.80	3.80
8.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई	5.25	5.25	8.00	8.00	11.45	11.45	12.95	12.95	9.25	9.24
		विनी	2.00	2.00	4.00	4.0	8.50	8.50	9.55	9.55	3.40	3.40
9.	पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़	0.80	0.80	1.50	1.50	6.53	6.53	11.00	11.00	5.65	5.65
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.25	1.25	1.15	1.15	8.90	8.90	5.00	5.00	2.00	2.00
11.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	दिल्ली	20.82	20.82	19.10	19.08	30.50	30.35	36.14	36.14	17.85	16.53
		दिल्ली लघु मंडल	3.69	3.69	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	गोवा	गोवा	3.70	3.70	7.00	7.00	10.45	10.45	9.90	9.90	6.00	6.00
13.	असम मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	3.04	3.04	3.30	3.30	7.44	7.44	8.78	8.78	3.20	3.19
14.	मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा	आइजोल	1.31	1.31	1.25	1.25	2.00	2.00	1.29	1.29	1.00	0.99
15.	राजस्थान	जयपुर	7.40	7.40	7.53	7.53	10.28	10.28	12.75	12.75	7.20	7.15
		जोधपुर	4.10	4.10	4.50	4.50	7.65	7.65	10.65	10.65	6.75	6.75
16.	तेलंगाना	हैदराबाद	2.80	2.80	7.00	6.80	15.50	15.50	14.38	14.38	4.80	4.77
17.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	4.57	4.57	5.75	5.75	11.60	11.60	14.70	14.70	6.50	6.50
18.	विहार	पटना	1.23	1.23	3.35	3.35	9.00	9.00	16.00	16.00	5.33	5.33
19.	जम्मू और कश्मीर/संघ राज्य क्षेत्र	श्रीनगर	0.80	0.80	2.55	2.55	6.11	6.03	7.17	7.17	3.65	3.64
20.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	लेह लघु मंडल	0.20	0.20	0.43	0.43	1.92	1.92	3.50	3.50	1.50	1.50
21.	केरल	त्रिशूर	2.03	2.03	6.82	6.82	7.50	7.50	7.09	7.09	4.22	4.22
22.	गुजरात दमन एवं दियू (संघ राज्य क्षेत्र)	वडोदरा	6.35	6.35	8.00	8.00	11.00	11.00	12.00	12.00	4.50	4.50
		गुजरात	0.99	0.99	2.50	2.50	3.09	3.09	2.50	2.50	2.00	2.00
23.	उत्तराखण्ड	देहरादून	4.60	4.60	3.75	3.75	4.85	4.85	5.42	5.42	3.60	3.60
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर	2.89	2.89	4.78	4.78	7.50	7.50	5.94	5.94	5.13	5.13
25.	झारखण्ड	रांची	0.88	0.88	1.18	1.16	2.00	2.00	2.15	2.15	1.25	1.25

\*\*\*\*\*